समाचार-प्रकाशनार्थः-

को वड-19   के नियंत्रण के संबंध में मा. मुख्यमंत्री आज देगें सम्बोधन
सम्बोधन को वेबकास्ट लंक के माध्यम से देखें व सुने

रतलाम 21 मई। को वड-19 के नियंत्रण की रणनीति के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री श्री शवराज संह जी चौहान आज 22 मई शनिवार को प्रातः 11ः00 बजे ॅमइबंेज सपदा ूूूण्ूमइबंेजण्हवअण्पदध्ठचध्बउमअमदजे पर सम्बोधन देगें।

नगर निगम द्वारा नगर के सम्मानीय जनप्रतिनि ध, गणमान्य नागरिक, प्रन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक म डयाकर्मी, जन अ भयान परिषद सदस्य, महिला स्व सहायता समूह के सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता व नागरिकों से अपील की जाती है क माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु दिये जाने वाले सम्बोधन में वेबकास्ट लंक के माध्यम से सम्मि लत होकर अपनी सहभा गता निभाये व रतलाम शहर को कोरोना मुक्त बनायें।

खाद्यान्न पर्ची हेतु झोन कार्यालयों पर लये जा रहे हैं आवेदन
पात्रता पर्ची हेतु 3651 नागरिकों ने जमा कराये आवेदन
पात्र परिवारो के सत्यापन हेतु राशन- मत्र पोर्टल पर कार्य प्रारंभ

रतलाम 21 मई। शासन निर्देशानुसार को वड-19 के संक्रमण के कारण लॉक डाउन अव ध में गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पात्रता पर्ची वहीन/छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न वतरण हेतु अस्थायी पर्ची बनाने हेतु 14 से 21 मई तक नागरिकों ने निगम के झोन क्रमांक 1 पर 748, झोन क्रमांक 2 पर 863, झोन क्रमांक 3 पर 998 व झोन क्रमांक 4 पर 1042 इस तरह कुल 3651 आवेदन जमा कराये। प्राप्त आवेदनों के पात्र परिवारों के सत्यापन की कार्यवाही राशन- मत्र पोर्टल पर प्रारंभ कर दी गई है। अस्थायी पात्रता पर्ची बनाने हेतु निगम के झोन कार्यालयों पर प्रातः 8ः00 बजे से आवेदन व आवश्यक दस्तावेज लये जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क एनएफएसए 2013 अन्तर्गत 24 श्रेणी के परिवारों को पात्रता श्रेणी अन्तर्गत सम्मि लत कया गया है। को वड-19 के संक्रमण के कारण लॉक डाउन अव ध में गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पात्रता पर्ची वहीन/छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न वतरण हेतु अस्थायी पर्ची बनाने हेतु निगम के झोन क्रमांक 1 अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल, झोन क्रमांक 2 अम्बेडकर मांग लक भवन

पोलोग्राउण्ड, झोन क्रमांक 3 अमृत सागर उद्यान भवन व झोन क्रमांक 4 हरमाला सम्पवेल भवन पर प्रातः 8ः00 बजे से नियुक्त अधकारी एवं कर्मचारियों द्वारा आवेदन लये जायेंगे। हितग्राहियों हेतु आवेदन की व्यवस्था झोन कार्यालयों पर की गई है हितग्राही कोवड-19 की गाईड लाईन का पालन कर व मास्क लगाकर को अपने साथ समग्र आई.डी., आधार कार्ड व 24 श्रेणयों में से कसी भी एक श्रेणी के दस्तावेज की छाया प्रति साथ में लावें।

खाद्यान्न वतरण हेतु अस्थायी पर्ची के लये 24 श्रेणी क्रमशः समस्त बीपीएल परिवार, वनाधकार प`धारी, समस्त भूमहीन कोटवार, मध्यप्रदेश में निवासरत् समस्त अनुसूचत जाति के परिवार, मध्यप्रदेश में निवासरत् समस्त अनुसूचत जनजाति के परिवार, वर्ष 2013-14 में प्राकृतिक आपदा में प्रभावत परिवार जिनकी फसलों से क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधक हो, समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमक हैं एव उन पर आश्रत परिवारों के सदस्य, बंद पड़ी मलों में नियोजित पूर्व श्रमक, बीड़ी श्रमक कल्याण निधी अधनियम 1972 के परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमक, ग्रामण क्षेत्रों के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनान्तर्गत भूमहीन, खेतीहर पंजीकृत मजदूर एवं आश्रत परिवार के सदस्य, साइकल रिक्शा चालक एवं हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत साइकल रिक्शा/हाथ ठेला चालक एवं आश्रत परिवारों के सदस्य, घरेलू कामकाजी महिलाऐं, फेरीवाले स्ट्रीट वेण्डर, नगरीय निकायों के पंजीकृत केशशल्पी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं आश्रत परिवारों के सदस्य, अनाथ आश्रम निराश्रत/वकलांग छात्रावासों में निवासरत् बच्चे तथा वृद्धाश्रमों में निःशुल्क निवारत् वृद्धजन, पंजीकृत बहुवकलांग एवं मंदबुद्धी व्यक्ति, रेलवे में पंजीकृत कुली, मंडयो में अनुज्ञाप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी, कुटीर एवं ग्रामोधोग वभाग अन्तर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शल्पी, एचआईव्ही (एड्स) संक्रमत व्यक्ति (जो स्वेच्छा से लाभ लेना चाहते हो), मत्सय पालन करने वाले (मछुआ) सहकारी समतियों में पंजीकृत परिवार/सदस्य, पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक व वमुक्त घुम्मकड़ एवं अर्धघुम्मकड़ जातियों के परिवार जो पूर्व से अनुसूचत जाति/जनजाति परिवारों से छूटे हुए है।

कन्टेनमेंट क्षेत्रों में कया जा रहा है सेनेटाईजेशन का कार्य

रतलाम 21 मई। कोवड-19 (कोरोना वायरस) के फैलाव को रोकने हेतु जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर के वभन्न क्षेत्रों में

कोरोना संक्र मत मरीज पाये जाने पर बनाये गये कन्टेनमेंट क्षेत्रों में फायर लॉरी, टे क्टर ट्रॉली व हैण्ड स्प्रे मशीन से सेनेटाईजेशन कया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगर के व भन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्र मत मरीज पाये जाने पर बनाये गये व भन्न कन्टेनमेंट क्षेत्रों में फायर लॉरी, टे क्टर ट्रॉली व हैण्ड स्प्रे मशीन से **139** कन्टेनमेंट क्षेत्रों में निय मत रूप से पानी में **1** प्रतिशत सो डयम हाईपोक्लोराईड मलाकर सेनेटाईजेशन का कार्य झोन अनुसार नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा निय मत रूप से कया जा रहा है ता क को वड-**19** (कोरोना वायरस) के फैलाव को जा सकें।

होम आईसोलेशन मरीजों को मे ड सन कट का वतरण

61 मरीजो को कया मे ड सन कट का वतरण

मरीज के परिजनों को **103** मे डकल कट का वतरण

रतलाम **21** मई। को वड-**19** संक्रमण में होम आईसोलेशन के मरीजो को मे ड सन कट व स्वास्थ्य वभाग के निर्देशों की प्रति की होम डलेवरी कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड वार गठित दलों द्वारा मरीजो के घर जाकर मे डकल कट प्रदान की।

ई-दक्ष केन्द्र रतलाम से **21** मई को होम आईसोलेशन के मरीजो की सूची स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह ने प्राप्त कर जिला अस्पताल के स्टोर से **80** मे ड सन कट प्राप्त कर निगम के अग्निशमन वभाग में उपलब्ध कराई जिसे अग्निशमन वभाग से वार्ड वार गठित दलो वतरण हेतु उपलब्ध कराई गई।

वार्ड वार गठित दलो द्वारा होम आईसोलेशन के मरीजो के घर-घर जाकर मे डकल कट का वतरण कया गया जिसके तहत सूची अनुसार **61** मरीजो को मे डकल कट का वतरण घर पर कया गया। **3** मरीज उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होना पाया गया, **4** मरीज नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर से होना पाया गया व **6** मरीजो को पूर्व से ही मे ड सन कट प्राप्त होना पाया गया तथा **6** मरीजो के कान्टेक्ट नम्बर व पते गलत पाये गये। इसके अलावा **103** मे डसीन कट मरीज के परिजनों को प्रदान की गई।

नगरीय क्षेत्र में **139** कनटेंनमेंट झोन बनाये

रतलाम **21** मई। को वड-**19** कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार ऐसे क्षेत्र जहां कोरोना संक्र मत मल रहे है उस क्षेत्र को कनटेनमेंट

झोन बनाया जा रहा है जिसके तहत अब तक 139 कनटेंनमेंट झोन बनाये जा चुके है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में 11 से 21 मई तक टाटा नगर में 2, तेजा नगर में 2, ओझाखाली, प्रताप नगर, प्रताप नगर एक्टेंशन, प्रताप नगर एक्टेंशन में मकान नम्बर 5, 19 व 30, ऑ फसर्स कॉलोनी, बालाजी नगर, थावरिया बाजार, वकील कालोनी, ब्राम्हणों का वास, वेदव्यास कालोनी में 4, गुलमोहर कॉलोनी, देवरादेव नारायण नगर, जवाहर नगर, डोंगरे नगर, मोहन नगर, अलकापुरी अम्बे चौक के पास, आदर्श नगर गली नम्बर 3, सुनाना ड्रीम होम्स सुमंगल गार्डन के पास, कस्तुरबा नगर मुख्य मार्ग पर 2, दीनदयाल नगर मुख्य मार्ग, दीनदयाल नगर मकान नम्बर 38 व 196, दीनदयाल नगर राधा-कृष्ण स्कूल के पास, शास्त्री नगर में 2, राजपूत बो र्डंग के पास 2, महेश नगर, सन सटी कॉलोनी, दीनदयाल नगर सी सेक्टर में 1 व जी सेक्टर में 2, धीरजशाह नगर गली नम्बर 4 में 1 व गली नम्बर 5 में 2, सलावटो का वास, कस्तुरबा नगर पीएण्डटी कोलोनी, अम्बिका नगर, राजीव नगर, सुयोग परिसर, थावरिया बाजार, वेदव्यास कालोनी अ भलाषा अपार्टमेन्ट, खटीक मोहल्ला, दीनदयाल नगर डी सेक्टर, तेजा नगर गली नम्बर 4, नेमीनाथ नगर, गौशाला रोड, सुतारो का वास, जवाहर नगर, जनता नगर, अलकापुरी, भोयरा बावड़ी, ताहेरपुरा, अलकापुरी मुख्य मार्ग, कस्तुरबा नगर सांवरिया स्वीट् के पास, जवाहर नगर, बाणेश्वरी कॉलोनी, नेमीनाथ नगर, दीनदयाल नगर बी सेक्टर, तेजा नगर गली नम्बर 4 आदर्श गुरू कल्याण नगर, रिद्धी- सद्धी कालोनी, सद्धांचलम एक्सटेंशन, महेश नगर, इन्द्रा नगर, सैनिक कालोनी, टाटा नगर गली नम्बर 1 व 8, सलावटो का वास अन्न क्षेत्र, करमदी रोड, सुदामा परिसर, अजंता पेलेस, राजस्व कालोनी, खटीक मोहल्ला, हाथीखाना, खटीक मोहल्ला, गौशाला रोड, जाटो का वास, नौलाईपुरा, टाटा नगर गली नम्बर 7, अरिहंत परिसर सेक्टर नम्बर 2 में 2 व 1 में 1, नूरी नगर उंकाला रोड, सूरजमल जैन नगर, लक्ष्मीनगर ए कालोनी, एम.बी. नगर, लक्ष्मणपुरा पीएनटी कालोनी गली नम्बर 1, ग्लोबस टाउन शप, अलकापुरी एम.आई.जी. 24 व 25 व अलकापुरी डी 27 व बी 279, हिम्मत वहार कालोनी, अशोक नगर, करण नगर, जूनी कलालसेरी, दीनदयाल नगर एफ सेक्टर, वेदव्यास कालोनी, ताहेरपुरा, श्रीमालीवास, जवाहर नगर व मोहन नगर में 2 कन्टेनमेंट, हाथीखाना, खान बावड़ी, गुलमोहर कालोनी, रामदेवजी की घाटी, दीनदयाल नगर सी सेक्टर, करण नगर, जूनी कलालसेरी, कल्याण नगर, गांधी नगर, डोंगरे, इन्द्रा नगर, दीनदयाल नगर डी, ई व एफ सेक्टर, हिम्मत नगर में 2, महेश नगर, जवाहर

नगर, अम्बेडकर नगर व कोमल नगर में कनटेन्मेंट झोन बनाये गये है इस तरह **12** दिवस में **139** कनटेनमेंट झोन रतलाम नगरीय क्षेत्र में बनाये गये हैं।

नाले-ना लयों की सफाई का कार्य निरंतर जारी
7 नालो की सफाई का कार्य जारी

रतलाम **21** मई। वर्षा ऋतु के पूर्व नगर के समस्त नाले-ना लयों की सफाई करवाये का कार्य निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देश के तहत निगम के स्वास्थ्य वभाग द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा शैरानीपुरा कसाई मण्डी, मदिना मस्जिद वेदव्यास कालोनी, कुरेशी मण्डी मौ मनपुरा, जवाहर नगर, नौलाईपुरा, गांधी नगर व स्टेशन रोड वधायक कार्यालय के सामने वाले नाले की सफाई का कार्य स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह के निर्देशन में प्रारंभ कया गया।

' ' कल कोरोना-3'' अ भयान के तहत **8** स्थानों पर को वड सहायता केन्द्र का संचालन

रतलाम **21** मई। शासन निर्देशानुसार को वड-**19** के परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए '' कल कोरोना-3'' अ भयान के तहत रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र में **8** स्थानों पर को वड सहायता केन्द्र का संचालन कया गया है जिसमें नगर निगम अ धकारी/कर्मचारी, मे डकल ऑ फसर, आंगनवाड़ी सुपरवाईजर, स्टॉफ नर्स, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है।

'' कल कोरोना-3'' अ भयान के तहत वार्ड क्रमांक **33, 34, 35, 36** व **31** हेतु टीआईटी रोड डस्पेंसरी, वार्ड क्रमांक **30, 31** व **32** हेतु जावरा रोड प्राथ मक स्कूल डी मार्ट रोड, वार्ड क्रमांक **27, 28** व **29** हेतु दिलीप नगर डस्पेंसरी, वार्ड क्रमांक **20, 21, 22, 23, 24, 25, 44** व **45** हेतु मोती नगर प्राथ मक स्कूल, वार्ड क्रमांक **26, 37, 38, 39, 40, 41, 42** व **43** हेतु हा कम वाड़ा डस्पेंसरी, वार्ड क्रमांक **15, 16, 17, 18, 19, 46, 47, 48** व **49** हेतु सुभाष नगर कम्युनिटी हॉल, वार्ड क्रमांक **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7** व **8** अर्बन प्राथ मक स्वास्थ्य केन्द्र गणेश नगर व वार्ड क्रमांक **9, 10, 11, 12, 13** व **14** हेतु रेडक्रास भवन बिरियाखेड़ी मेन रोड पर को वड सहायता केन्द्र का संचालन कया गया है। उक्त केन्द्रो पर नियुक्त नगर निगम अ धकारी एवं कर्मचारियों हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल को नोडल अ धकारी नियुक्त कया है। इसके अलावा को वड सहायता केन्द्र पर नियुक्त मे डकल ऑ फसर, आंगनवाड़ी

सुपरवाईजर, स्टॉफ नर्स, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु श्री नईम मोहम्मद खान प्रभारी ए.पी.एम. मो0नं0 9685330094 व श्री लोकेश वैष्णव प्रभारी बी.ई.ई. मो0 नं0 7999606919 को नोडल अ धकारी बनाया गया है।

को वड सहायता केन्द्र पर शीघ्रातिशीघ्र सर्दी/खांसी/प्स्प् के लक्षण वाले रो गयों की प्राथ मक जांच एवं परामर्श दिया जायेगा, गले में खराश/सांस लेने में कठिनाई/बदन दर्द/ सर दर्द के साथ बुखार ;झ38°ब्ध्100ण्4°थ्द्धआदि लक्षण युक्त रो गयों का लक्षण आधारित उपचार व संभा वत को वड-19 रो गयों का निकटस्थ फीवर क्लीनिकपर रेफरल का कार्य कया जायेगा।

कसी भी प्रकार बुखार तथा बुखार के साथ कोई अन्य लक्षण जैसे की बुखार के साथ सर्दी-खॉसी, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, कमजोरी, चक्कर, दस्त, गंध अथवा स्वाद कम होने पर नागरिक अपने नजदीकी को वड सहायता केन्द्र पर संपर्क करें।

नगर में प्रतिदिन कया जा रहा है सेनेटाईजेशन

नगर के व भन्न क्षेत्रों को फायर लॉरी से कया सेनेटाईज

रतलाम 21 मई। रतलाम नगर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार निगम के व भन्न वाहनों के माध्यम से सो डयम हाईपोक्लोराईड से सेनेटराईज कया जा रहा है साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाईजेशन कया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व टे्रक्टर ट्रॉली से नगर के व भन्न क्षेत्रों की सड़कों, ग लयों, भवन आदि को 1 प्रतिशत सो डयम हाईपोक्लोराईड मलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटराईज कया जा रहा है। 21 मई को फायर लॉरी व टे्रक्टर ट्रॉली से मे डकल कालेज, भक्तन की बावड़ी मुक्तिधाम, त्रिवेणी मुक्तिधाम, ब्राम्हणों का वास, तेजा नगर, टाटा नगर, वेदव्यास कालोनी सहित नगर के व भन्न क्षेत्रों में सेनेटाईजेशन कया गया। इसके अलावा 14 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से मे डकल कॉलेज, माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्र, कलेक्टोरेट, ई-दक्ष कार्यालय, नगर निगम कार्यालय सहित शासकीय कार्यालयो आदि में सेनेटराईजेशन का कार्य कया गया।

नगर के सेनेटराईज कये जाने के साथ ही स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य कया जा रहा है व सफाई उपरान्त सफाई स्थल व ना लयों में कीटनाशक दवा का छिड़काव कया जा रहा है।

मे डकल कॉलेज में ऑक्सीजन सलेण्डर सप्लाय निरंतर जारी

रतलाम 21 मई। शासकीय मे डकल कॉलेज में उपचारत् को वड-19 के मरीजों को कसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की कमी ना हो इस हेतु जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार मालवा व महावीर ऑक्सीजन से सलेण्डर मे डकल कॉलेज में पंहूचाने का कार्य प्रतिदिन निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा नियुक्त अ धकारी एवं कर्मचारियों द्वारा कया जा रहा है साथ ही इस कार्य में सतत् निगरानी भी रखी जा रही है।

नगर निगम द्वारा ऑक्सीजन सलेण्डर सप्लाय के अलावा मे डकल कॉलेज के सु वधाघरों की सफाई के कार्य पर निगम अ धकारी एवं कर्मचारियों द्वारा सत्त निगरानी रखी जा रही है इसके अलावा प्रतिदिन मे डकल कॉलेज में सेनेटाईजेशन के कार्य हेतु कर्मचारी नियुक्त कया गया है जो मे डकल कॉलेज के अंदर व बाहर सेनेटाईजेशन का कार्य संपादित कर रहे है।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 21 मई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्दे शत कया है क वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबं धत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबं धत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्दे शत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क दोनो पा लयों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्दे शत कया है क वे प्रतिदिन प्रमा णत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम **21** मई। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में, नाले-ना लयों में कचरा डालते है व **50** माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में मनोज टांक मो.नं. **7000848456,** पवन झांझोट मो.नं. **7000128812,** आकाष षन्दे मो.नं. **9424075393,** मनोज झांझोट मो.नं. **6268449110,** राकेष ललावत मो.नं. **7000128812** नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में, नाले-ना लयों में कचरा डालते है व **50** माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम **21** मई । स्वच्छ सर्वेक्षण-**2021** में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-**1** बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/**21.05.2021**/न.पा.निगम, रतलाम.